

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : प 1(2)(69) मअ/स्था/2009/7953


जयपुर, दिनांक: 20-5-2020

आदेश

महिला अधिकारिता में कार्यरत अभिकरण के कार्मिकों को मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 150/2018 एवं विभाग के आदेश क्रमांक 92571 दिनांक 24.07.2018 के द्वारा उनकी नियुक्ति तिथि से नियमित किये जाने के उपरान्त मंत्रालयिक संवर्ग (शीघ्र लिपिक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक) एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवा में दिनांक 01.04.2020 को कार्यरत कर्मचारियों की अन्तःकालिन (Provisional) वरिष्ठता सूची निम्नानुसार जारी की जा रही है:-

क्र.सं	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति	वर्तमान पद पर चयन वर्ष
शीघ्र लिपिक				
1	सुश्री रजनी शर्मा	03.09.1963	28.12.1994	1994-95
2	श्री मुकेश मुद्गल	23.01.1973	14.05.1996	1996-97
सहायक प्रशासनिक अधिकारी				
1	श्री ओम प्रकाश गांधी	15.02.1969	13.06.1990	2019-20
2.	श्री दीपक जोशी	18.03.1961	02.07.1993	2019-20
वरिष्ठ सहायक				
1	श्री नरेन्द्र सिंह	25.12.1962	01.05.1987	2019-20
2.	श्रीमती विजयमाला	29.10.1965	05.05.1989	2019-20
3.	श्री अनिल मेहता	20.10.1967	05.05.1989	2019-20
4.	श्री अनिल कुमार	15.02.1967	01.07.1993	2019-20
कनिष्ठ सहायक				
1	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	30.04.1966	01.04.1990	1990-91
2	श्रीमती आनन्दी देवी	08.08.1963	01.05.1986	2019-20
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
1.	श्री भंवर सिंह राठौड	10.05.1961	21.05.1985	1985-86
2.	श्री माधु सिंह	01.08.1965	01.07.1985	1985-86
3.	श्री रतन लाल	15.10.1960	20.05.1986	1986-87
4.	श्री लाल सिंह	23.05.1960	14.05.1987	1987-88
5.	श्री लाल चन्द	20.06.1968	18.03.1988	1988-89
6.	श्री मोहम्मद अयुब खान	05.11.1965	26.04.1989	1989-90
7.	श्री पन्ना लाल	20.09.1962	01.05.1989	1989-90
8.	श्री सोहन राम	03.07.1971	13.06.1990	1990-91
9.	श्री भवर सिंह	17.09.1974	18.09.1993	1993-94
10.	भगवान सिंह खटोड	10.11.1962	24.09.1993	1993-94
11.	श्रीमती किरण शर्मा	15.04.1972	24.09.1993	1993-94
12.	श्री प्रेम सिंह	01.08.1967	22.06.1994	1994-95
13.	श्री विजय कुमार	25.12.1974	16.09.1996	1996-97

उपरोक्त वरिष्ठता सूची पर यदि किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति हो तो वह इस आदेश के जारी होने के 15 दिवस के अन्दर इस विभाग को अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्ति के पश्चात ऐतराज पर कोई कार्यवाही नहीं की जावेगी।



(पी०सी०पवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक : प 1(2)(69) मअ/स्था/2009/ 7954-58

जयपुर, दिनांक: 20-5-2020

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महिला अधिकारिता, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता सम्बन्धि जिला.....
4. संबंधित कर्मचारी श्री/श्रीमती/सुश्री
5. रक्षित पत्रावली।


अति. निदेशक, म.अ.